



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN - U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर
दूरभाष - 0145-2644501, फेक्स - 0145-2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./अति.मु.अ. (मुख्यालय.)/अधी.अ.(वा.)/अ.अ.-II/2017-18/प्रे 1612 दि. 2/8/2017

आदेश

विषय:- Loss Reduction Programme में किये गये कार्य की समीक्षा उपरान्त कार्यवाही के सम्बन्ध में।

स्थायी आदेश संख्या 16/01 दिनांक 20.06.2016 के द्वारा **Loss Reduction Programme** का कार्य दिसम्बर, 2017 तक 3 चरणों में पूर्ण किये जाने एवं इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। जिसके अनुसार प्रत्येक ग्रामीण फीडर पर फीडर इन्चार्ज को नियुक्त किया जाना था।

इस सन्दर्भ में दिनांक 30.06.2017 को आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में चर्चा की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि किसी भी फीडर पर **Loss Reduction Programme** का कार्य पूरा होने के पश्चात् एवं सम्बन्धित फीडर इन्चार्ज द्वारा यह घोषित करने के उपरान्त कि इस फीडर पर ट्रांसफार्मर की रीकंडीशनिंग का कार्य पूर्ण हो गया है के बाद भी यदि किसी ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग टूटी हुई पायी जाती है तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी:-

1. ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग टूटी हुई पायी जाने पर प्राथमिक जिम्मेदारी फीडर इन्चार्ज की होगी। फीडर इन्चार्ज इस सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को अधिकतम 3 दिवस में देगा एवं कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 138 के अन्तर्गत वी.सी.आर. भरकर मुकदमा दर्ज करवाने की कार्यवाही करेगा। यदि कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा उक्त मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो इसके लिये वह जिम्मेदार होगा।
2. यदि फीडर इन्चार्ज द्वारा ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग टूटने से सम्बन्धित सूचना कनिष्ठ अभियन्ता को नहीं दी जाती है एवं कनिष्ठ अभियन्ता/सर्तकता दल द्वारा जांच के दौरान ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग टूटी हुई पायी जाती है तो सम्बन्धित फीडर इन्चार्ज दोषी माना जायेगा व उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग टूटी पायी जाने पर खराब ट्रांसफार्मर बदलने के लिये 72 घंटे की समय सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे मामलों में ट्रांसफार्मर कानूनी प्रक्रिया के तहत बदले जावेंगे।

सभी सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

(एस. एस. मीना)

अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविनि. अजमेर

POSITION OF ASSESSMENT/REALIZATION OF PENDING VCRRS PRIOR TO 30-06-2016

NAME OF CIRCLE :- _____

S N	Na me of s/d.	No. of pending VCRRs			CASES WHERE ASSESSMENT MADE IN VCRRs AGAINST COLUMN NO. 3 (CIVIL LIABILITY + COMPOUNDING)						Cases in which assessment not made against column No. 3	REALIZATION IN THE CASES AGAINST COLUMN NO. 4 (AFTER 01-05-2016)						PENDING CASES FOR REALIZATION Column (4-6)										
		a	b	c	Cases upto Rs. 50,000		Cases above Rs. 50,000		Total			During the Month			Up to the Month			Cases upto Rs. 50,000		Cases above Rs. 50,000		Total						
1	2	3			4		4		5		6			6			7		7		7							
					No.	Amount (in lacs)	No	Amount (in lacs)	No.	Amount (in lacs)	Total	No	Amount (in lacs)	No	Amount (in lacs)	No	Amount (in lacs)	Total	No	Amount (in lacs)	No	Amount (in lacs)	Total	No	Amount (in lacs)	No	Amount (in lacs)	Total

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]